



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3629]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 2018/भाद्र 21, 1940

No. 3629]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 2018/BHADRA 21, 1940

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4787(अ).**—यतः केन्द्र सरकार ने अनुसूची में सम्मिलित 6 उत्पादों हेतु दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के का.आ. 2920 (अ) के तहत 'सौर प्रकाशबोल्डीय, प्रणालियाँ, उपकरण और घटक सामग्री (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2017' जारी किए थे जिनके प्रभावी होने की तारीख 5 सितम्बर, 2018 तय की गई और यतः भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त उक्त आदेश के प्रभावी होने की तारीख पहले अर्थात् 16 अप्रैल, 2018 कर दी गई अनुबद्ध अनुसूची में क्रम सं. 1-5 के उत्पादों के लिए विनिर्माता द्वारा स्वतः प्रमाणपत्र देने की शर्त पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 30 मई, 2018 के का.आ. 2183 (अ) के तहत यह अधिसूचित किया गया था कि उक्त आदेश 30 जून, 2018 से प्रभावी होगा जिसे भारत के राजपत्र में 13.07.2018 को प्रकाशित राजपत्र का.आ. 3449 (अ) के माध्यम से 04 सितम्बर, 2018 तक बढ़ाया गया।

2. और यतः उद्योग ने आदेश के अनुपालन के लिए और अधिक समय मांगा है और यतः संबंधित मुद्दों पर आदेश के सुचारू कार्यान्वयन हेतु हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया है एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि दिनांक 30.05.2018 के का.आ. सं. 2183 (अ) की धारा 2 के तहत अधिसूचित स्वप्रमाणन की छूट की तारीख को उसमें शामिल सभी मद्दों के लिए 04 सितम्बर, 2018 से 20 सितम्बर, 2018 तक बढ़ाया जाता है।

[फा. सं. 223/140/2017-अनुसंधान और विकास समन्वय]

डॉ. बी.एस. नेगी, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', एमएनआरई

**MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th September, 2018

**S. O. 4787(E).**—Whereas the Central Government had issued "Solar Photovoltaics, Systems, Devices and Components Goods (Requirements for Compulsory Registration) Order, 2017" vide S.O 2920 (E) dated 5th September, 2017 for six products included in the Schedule with the date of coming into force with effect from 5th September, 2018. And whereas, after having discussions with the various stakeholders including the Bureau of Indian Standards (BIS), the date of coming into force of the said Order was advanced to 16th April, 2018 on the condition of self-certification by manufacturers for products at Sl. No. 1-5 in the schedule annexed to the same order applicable till 30<sup>th</sup> June, 2018 published in Gazette of India notified on 30<sup>th</sup> May, 2018 vide S.O. 2183 (E), which was further extended to 4<sup>th</sup> September, 2018 vide S.O. 3449 (E) published in Gazette of India on 13.07.2018.

2. And whereas, the industry has sought more time for compliance to the order and whereas the issues involved have been discussed with the stakeholders for smooth implementation of the order, it is hereby notified that the date of self-certification relaxation notified vide Clause 2 of S.O. No. 2183 (E) dated 30.05.2018 stands extended to 20th September, 2018 from 4<sup>th</sup> September, 2018 for all items mentioned therein.

[F. No. 223/140/2017-R&D Coord.]

Dr. B.S. NEGI, Adviser/Scientist 'G', MNRE